राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2145/2022

राकेश कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, भरतपुर (राज.)।
3. वित्त सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राज.)।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर (राज.)।
5. सहायक लेखा अधिकारी–प्रथम, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर (राज.)।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर (राज.)।
7. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आजादपुरा वियर भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.07.2022
आदेश की दिनांक : 21.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मोहित पारीक, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.04.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 का लाभ वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 05.07.2013 के आधार पर दिया जावे और उक्त आलोच्य आदेश के क्रम में यदि

अपीलार्थी ने कोई वसूली राशि जमा की है तो उसे लौटाई जाने के आदेश फरमाए जावें तथा अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4800 दिनांक 01.07.2013 से एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 5400 दिनांक 02.07.2020 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी को सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुए उक्त चयनित वेतनमान दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी परंतु तृतीय चयनित वेतनमान 5400 का लाभ दिनांक 02.07.2020 से अस्वीकृत कर दिया गया। उसके पश्चात आदेश दिनांक 07.08.1998 एवं 27.08.1997 की पालना में एवं वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के क्रम में अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर किया गया, तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के उक्त पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का फिक्सेशन राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार 4800 ग्रेड–पे पर फिक्सेशन किया गया, जिसका उल्लेख सेवापुस्तिका में मौजूद है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर उसे तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के तहत अपीलार्थी का दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 में फिक्स किया गया, परंतु अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 5400 प्रदान की जावे एवं शेष राशि भी मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के

द्वारा किया गया है। अपीलार्थी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी एवं आदेश दिनांक 07.08.1998 के द्वारा उसका समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय श्रेणी के पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम सीधी नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड–पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया हैं। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 02.07.2003 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.07.2011 से दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 29.07.1997 एवं 03.10.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किया गया है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 19.04.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया

जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) लाभ देकर फिक्सेशन किये जाने पर विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)